

मध्य प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा के एक सत्र (जुलाई 2017)
में बच्चों से सम्बंधित पूछे गए प्रश्न-उत्तरों का विश्लेषण



Child Rights Observatory Madhya Pradesh

Seven Hills School Premise ,E-6 Arera Colony Bhopal


Phone 0755-2560466,Email cromp.in@gmail.com

हाल ही में प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा का चौथा सत्र जुलाई 2017 सम्पन्न हुआ। यह सत्र 17 जुलाई से 28 जुलाई तक चलना प्रस्तावित था किन्तु दो दिन पूर्व यानि 26 जुलाई को ही इस सत्र को स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान कुल 2304 लिखित प्रश्न पूछे गये, इनमें से 200 प्रश्न तारांकित और 2104 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए गए।

1-बच्चों से सम्बंधित लिखित प्रश्न-उत्तर

इस सत्र के दौरान कुल 2304 प्रश्नों में से 185(8.03प्रतिशत) बच्चों से सम्बंधित प्रश्न थे जिनका लिखित में जबाब दिया गया। इन प्रश्नों में सबसे अधिक 61.08 प्रतिशत स्कूली शिक्षा, 35.68 प्रतिशतपोषण सम्बंधित और 3.24 प्रतिशत बच्चों की सुरक्षा से सम्बंधित प्रश्न पूछे गये। ग्राफ - 1 देखें

ग्राफ -1 बच्चों से सम्बंधित प्रश्नों का वर्गीकरण-



बच्चों से सम्बंधित पूछे गए प्रश्नों में से 29 राज्य स्तर के, दो संभाग स्तर के और 154 प्रदेश के और 43 जिलों या उनकी विधान सभा क्षेत्र से सम्बंधित प्रश्न थे। (तालिका -1)

तालिका -1 बच्चों से सम्बंधित प्रश्न

क्रमांक		स्कूली शिक्षा	पोषण और स्वास्थ्य	सुरक्षा	कुल
1	राज्य स्तर	20	6	1	27

2	संभाग स्तर (Bhopal and Chambal)	2	0	0	2
3	जिला और उनकी विधान सभा क्षेत्र स्तर	91	60	5	156
	कुल	113	66	6	185

प्रदेश के आठ जिले क्रमशः अलीराजपुर, बुरहानपुर, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, मंडला, रायसेन और उमरिया जिले से कोई भी बच्चों से सम्बंधित प्रश्न विधान सभा के इस सत्र में नहीं पूछे गए। इनमें से मंडला, डिंडोरी और अलीराजपुर आदिवासी बाहुल्य जिले हैं और इन जिलों में बच्चों की स्थिति से सम्बंधित बहुत चुनौतियाँ हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण -3 रिपोर्ट के अनुसार **डिंडोरी** जिला बच्चों के पोषण से वंचित संकेतक (Child Nutritional Deprivation Index) में नौ राज्यों (Action Empowered States) के 284 जिलों में 14 वे और मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संकेतक (Maternal and Child Health Index) में 23 वे स्थान पर है। बच्चों के कम बजन के मामलों में नौ राज्यों के 284 जिलों में रायसेन जिला 16 वे स्थान पर है वहीं बच्चों की उम्र के अनुसार कम ऊँचाई के मामलों में 48 वे स्थान पर है और बाल मृत्यु दर के मामलों में 47 वे स्थान पर है। वहीं होशंगाबाद जिलानौ राज्यों के 284 जिलों में सबसे कुपोषित बच्चों के मामलों में शीर्ष स्थान पर हैं। इस सत्र में जिले बार पूछे गए प्रश्नों की जानकारी परिशिष्ट -1 में देखें।


2-प्रदेश में स्कूली शिक्षा की चुनौतियाँ-शिक्षा के अधिकार कानून के लागू होने के बाद बच्चों की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा उनका एक बुनियादी हक है। प्रदेश में स्कूली शिक्षा में कई चुनौतियाँ हैं। न्युपा द्वारा जारी डाईस रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार मध्य प्रदेश शिक्षा के विभिन्न संकेताकों में देश में निचले पायदान पर है। **लड़कों के लिए शौचालय की उपलब्धता** के मामलों में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वे स्थान पर है। **स्कूलों में बिजली कनेक्शन** मामलों में 33 वे स्थान पर है। **स्कूलों में कंप्यूटर** की उपलब्धता के मामलों में प्रदेश 36 राज्यों और

केंद्र शासित प्रदेशों में 28 वे स्थान पर है। प्रदेश के 3.63 प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है वहीं 3.4 प्रतिशत प्राइमरी और 2.79 प्रतिशत अपर प्राइमरी स्तर के स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जबकि देश के आठ राज्यों में 100 प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था है वहीं देश के 11 राज्यों में 99 प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था है। लड़कों के प्राइमरी से अपर प्राइमरी लेवल के बीच शाला छोड़ने के मामले में मध्य प्रदेश 10 वे स्थान पर है और लड़कियों के प्राइमरी से अपर प्राइमरी लेवल के बीच शाला छोड़ने के मामले में मध्य प्रदेश 12 वे स्थान पर है। एलीमेंट्री लेवल पर कुल **वार्षिक शाला त्यागी दर** के मामलों में मध्य प्रदेश देश में छठवे स्थान पर है। हाल ही में सम्पन्न संसद सत्र में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने जानकारी दी जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में **66 हजार शिक्षकों की कमी** है। शिक्षकों की कमी के मामले में मध्य प्रदेश छठवे स्थान पर है। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर **शिक्षा की गुणवत्ता** भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। असर रिपोर्ट 2016 के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा पांच के 52.2 प्रतिशत और कक्षा आठ के 27 प्रतिशत बच्चे कक्षा दो के स्तर के पाठ तक नहीं पढ़ पाते। कक्षा पांच के 75.4 प्रतिशत बच्चों को घटाना और 74.1 प्रतिशत बच्चों को भाग देना नहीं आता। यही हालत कक्षा 8 के बच्चों की है, 76.7 प्रतिशत बच्चे घटाना तो 56.8 प्रतिशत बच्चे भाग देना नहीं जानते। मध्य प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा पांच के 61 प्रतिशत से अधिक बच्चे कक्षा दो का पाठ नहीं पढ़ पाते। वहीं प्रदेश कक्षा 8 के 37.7 प्रतिशत बच्चे कक्षा दो का पाठ नहीं पढ़ पाते। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गणित जैसे विषयों में बच्चों की समझ बहुत कम है, प्रदेश के कक्षा पांच के 80.9 प्रतिशत बच्चों को घटाना और 80.6 प्रतिशत बच्चों को भाग देना नहीं आता।

3- स्कूली शिक्षा से सम्बंधित प्रश्न- विधान सभा के इस सत्र में बच्चों से सम्बंधित पूछे गए प्रश्नों में स्कूली शिक्षा से सम्बंधित सबसे अधिक 113 लिखित प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों में 20 प्रश्न राज्य स्तर, दो संभाग स्तर और 91 प्रश्न जिला और उनकी विधान सभा से सम्बंधित थे। सबसे अधिक प्रश्न (1) **अधोसंरचना** से सम्बंधित 39.22 प्रतिशत थे जो भवन विहीन शाला, बाउंड्री बाल, अतिरिक्त कक्षा निर्माण, फर्नीचर, शौचालय निर्माण और जर्जर स्कूल भवन सम्बंधित थे। (2) **कार्मिक** से सम्बंधित 29.41 प्रतिशत प्रश्न थे जो नियुक्ति, युक्तिकरण, प्रतिनियुक्ति, अबकाश, समायोजन और शिक्षक, प्राचार्य ,

प्रशिक्षण केन्द्र में प्राचार्य के रिक्त पदों से सम्बंधित थे।(3) अनियमितता से सम्बंधित कुल 7.84 प्रतिशत थे जो प्रश्न सायकल वितरण, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति आदिके थे।(4) अन्य शिक्षा से सम्बंधित प्रश्नों में 23.53 प्रतिशत प्रश्न शिक्षकों द्वारा गैर शिक्षकीय कार्य, स्कूलों को बंद करना, फीस और प्रवेश मध्याह्न भोजन आदि थे। पिछले वर्ष फरवरी में आयोजित विधान सभा सत्र के प्रश्नों का विश्लेषण किया गया जिसमें पाया कि पूछे गए कुल प्रश्नों में स्कूल से सम्बंधित 60 प्रतिशत से अधिक प्रश्न शिक्षकों और अधोसंरचना सम्बंधित थे। ग्राफ -2 से स्पष्ट है कि विधान सभा में स्कूली शिक्षा से पूछे गए प्रश्नों में अधिकांश प्रश्न अधोसंरचना और शिक्षकों के नियुक्ति, वेतन और प्रतिनियुक्ति से सम्बंधित ही हैं।

ग्राफ -2 स्कूली शिक्षा से सम्बंधित पिछले दो सत्रों के प्रश्नों का वर्गीकरण-



4-स्कूली शिक्षा से सम्बंधित मुद्दों पर विधान सभा में चर्चा

बच्चों से सम्बंधित प्रश्नों 18 मुद्दों पर सदन में तारांकित प्रश्न के जवाब, प्रश्न काल और शून्यकाल में बहस/चर्चा हुई। 18 प्रश्नों /मुद्दों में से 11 मुद्दे/ स्कूली शिक्षा से सम्बंधित थे जिसमें स्कूली शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की पदोन्नति विषय पर तारांकित प्रश्न का जबाब दिया। सदन में विधायक लाल सिंह यादव द्वारा तारांकित प्रश्न द्वारा जो ग्वालियर जिले में अध्यापक द्वारा फर्जी जाती प्रमाण पत्र के आधार पर क्रमोन्नति के मामले को उठाया गया। नरसिंहपुर जिले के गोटेगाँव के विद्यालयों में शौचालय के मुद्दे पर चर्चा हुई। जिसमें विधायक कैलाश जाटव ने अपनी विधान सभा क्षेत्र में दौरे के दौरान सामने

आये तथ्यों के आधार पर बताया कि “हमारी सरकार ने 71000 रुपये और 86300 रुपये और विधायक निधि से हमने 1.14 लाख रुपये की राशि स्कूल में शौचालय निर्माण के लिए के लिए दी है। इसमें जो क्रायटेरिया बताया गया है वह इन्सीलेटर और फोर्सलिफ्ट के पम्प के लिए बताया गया है, यह किसी शौचालय में नहीं है”। स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने जबाब में कहाँ कि विधायक जी को जहाँ जहाँ शिकायत है वह सूची मिल जायेगी तो निश्चित रूप से जाँच करेंगे। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया, प्राइवेट हाई स्कूल के फर्जी संचालन, अशासकीय विद्यालयों में शुल्क बसूली और जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही मुद्दे पर पूछे गये तारांकित प्रश्नों पर सबाल जबाब और चर्चा हुई। अशासकीय संकल्प पर चर्चा में विधायक यशपाल सिसोदिया ने शिक्षकों की अनुकम्पा नियुक्ति में बी.एड और डी.एड की अनिवार्यता खत्म करने की बात कही।

शून्य काल में चर्चा के दौरान विधायक के.पी सिंह ने सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल भवनों के निर्माण में खराब गुणबत्ता के मुद्दे को सदन में रखा।

विधायक हिना लिखीराम कवर ने प्रदेश के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों के अनुपात में भवनों में कमरों की कमी, शाला उन्नयन एवं वेतनमानों के लिए अध्यापक संबर्ग के द्वारा किये जा रहे आन्दोलन का मुद्दा उठाया। श्री सुखेन्दरशिक्षा की गुणबत्ता का भी मुद्दा उठाया।

5-विधान सभा में स्कूल शिक्षा से सम्बंधित दी गई जिले और प्रदेश स्तर की महत्वपूर्ण जानकारीयां-

श्यापुर मुख्यमंत्री ने गैर शिक्षकीय कार्यों में शिक्षकों को लगाने के प्रश्न के जबाब के उत्तर में बताया कि आ.जा.क विभाग के गैर शिक्षकीय कार्य में लगे शिक्षकों मूल स्थान पर वापस किया जाएगा लेकिन समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

इंदौर- उज्जैन संभाग में वर्ष 2016-17 में विद्यालय भवनों के ऊपर से गुजर रहीं हाई टेंशन लाईनों को हटाने के आठ आवेदन प्राप्त हुए थे उसमें से पांच स्कूलों से लाइन हटाया जाना शेष है।

बालाघाटछात्रावास भवनों का निर्माण उपलब्ध बजट सीमा में कराया जाता है। बर्तमान वित्तीय वर्ष में समस्त भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है।

देवास सोनकच्छ विधान सभा के स्कूलों में 28 चपरासीयों के पद रिक्त हैं, स्कूलों में सफाई एस.एम.सी और जन सहयोग से होती है।

गुना - जिले में 73 हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य के पद स्वीकृत हैं जिसमें से 64 पद रिक्त हैं।

नीमच जिले की जावद विधान सभा में वर्ष 2006-07 व 2007-08 में हुयी शिक्षकों की नियुक्ति में 44 संविदा शिक्षक दोषी पाए गए हैं। सभी दोषियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

सागर जिले में 3185 प्राथमिक और 935 माध्यमिक शाला मिलकर कुल 3120 स्कूल संचालित हैं जिसमे से 18 प्राथमिक और तीन माध्यमिक शालायें भवन विहीन हैं।

खारगोन जिले में वर्ष 2016-17 की स्थिति में 6301 साइकल मांग की जिसमे से 3691 पात्र छात्रों का वितरण किया गया। 2610 सायकल का वितरण शेष है।

प्रदेश- वर्ष 2017-18 के लिए प्रदेश में भवन विहीन एवं जीर्ण-शीर्ण शाला भवनों निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है परन्तु स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। निर्माण कार्य स्वीकृत बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में साक्षर भारत योजना के अंतर्गत 24338 प्रेरक बर्तमान में पदस्थ हैं।

6-प्रदेश में पोषण और स्वास्थ्य सेसम्बंधित चुनौतियाँ

कुछ माह पूर्व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हाई कोर्ट अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि प्रदेश में बच्चों की कुपोषण से हुयी मौत के कोई साक्ष्य नहीं है, बच्चों की मौते विभिन्न बीमारियों से हुयी है। प्रदेश में पांच वर्ष तक के 42 प्रतिशत से अधिक बच्चों का कम बजन है। बच्चों के कम बजन के मामलों में मध्य प्रदेश देश में तीसरे पायदान पर है। तीन वर्ष तक के बच्चो को जन्म के एक घंटे में माँ द्वारा दूध पिलाने में प्रदेश देश में 29 वे पायदान पर है। बच्चों में खून की कमी में प्रदेश छठवे स्थान पर है। देश में बच्चों की मौत उन कारणों से होती हैं जिनकी समय रहते रोकथाम की जा सकती है। बच्चों की मौत की रोकथाम में टीकाकरण बहुत ही सहायक तत्व है जो बच्चों को दो वर्ष तक की उम्र में लग जाने चाहिए किन्तु मध्य प्रदेश में 100 में से महज 53 बच्चों का ही सम्पूर्ण टीकाकरण हो पाता है। मध्य प्रदेश 12-23 वर्ष तक बच्चों के सम्पूर्ण टीकाकरण के मामलों में देश में 29 वे पायदान पर है।

6.1 बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के कमजोर संकेतानकों का बच्चों की जीविता पर प्रभाव

एन.एफ.एच.एस -4 के अनुसार प्रदेश में एक वर्ष में पैदा हुए 1000 बच्चों में से 51 बच्चे अपना पहला जन्म दिन नहीं मना पाते हैं। मध्य प्रदेश बाल मृत्यु-दर में देश में तीसरे स्थान पर है। वहीं प्रदेश में हजार में से 65 बच्चे अपना पांचवा जन्म दिन नहीं मना पाते, इस मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे पायदान पर है।

7 -बर्तमान विधान सभा सत्र में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य से सम्बंधित पूछे गए प्रश्न

विधान सभा के इस सत्र में बच्चों से सम्बंधित पूछे गए प्रश्नों में पोषण और स्वास्थ्य से सम्बंधित सबसे अधिक 66 लिखित प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों में छःप्रश्न राज्य स्तर और 60 प्रश्न जिला और उनकी विधान सभा क्षेत्र से सम्बंधित थे। सत्र में पूछे गए प्रश्नों में 50 प्रतिशत से अधिक प्रश्न आगनबाड़ी भवन और कार्यकर्ताओं से सम्बंधित थे।(तालिका 0-2)

तालिका -2 बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य से सम्बंधित पूछे गए प्रश्नों का वर्गीकरण

क्रमांक	विषय	मुख्य मुद्दे	प्रतिशत
1	भवन से सम्बंधित	उन्नयन,भवन निर्माण, भवनों की स्थिति,पेयजल सुबिधा,भवन विहीन आगनबाड़ी, किराये के भवन और भवनों का निर्माण और मरम्मत आदि	31.25
2	कार्मिक	कार्यकर्ता को कर्मचारी का दर्जा, कार्यकर्ता की संख्या, भर्ती प्रक्रिया और नियम ,मानदेय,प्रतिनियुक्ति और रिक्त पद आदि।	21.88
3	कुपोषण	कुपोषण से बच्चों में हो रही मौतें ,कुपोषित बच्चों की संख्या और कुपोषित बच्चों के लिए योजना आदि।	7.81
4	अनियमितता	अधिकारियों की शिकायत,आगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता,पोषण आहार की चोरी और खरीदी में अनियमितता,अपात्र कार्यकर्ताओ की नियुक्ति और भवन निर्माण में लापरवाही आदि।	9.38
5	पोषण आहार वितरण	बजट और वितरण व्यवस्था आदि	9.38

अन्य	योजना संचालन, टीकाकरण, बजट और ग्राम स्तर तदर्थ समितियां	20.31
कुल		100.00

8-कुपोषण से सम्बंधित मुद्दों पर विधान सभा में चर्चा

बच्चों से सम्बंधित 18 प्रश्नों/मुद्दों पर सदन में प्रश्न काल और शून्यकाल में चर्चा हुई जिसमें से छः प्रश्न पोषण से सम्बंधित थे। शून्यकाल में विधायक रामनिवास रावत ने केग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सदन में कहा कि आई.सी.डी.एस योजना अंतर्गत वर्ष 2011 से 2016 के दौरान दर्ज छः माह से तीन वर्ष की आयु समूह के 20.94 लाख बच्चे, तीन वर्ष से छः वर्ष के 57.02 लाख बच्चे और 7.99 लाख गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार प्रदान नहीं किया जा सका है। साथ ही उन्होंने चर्चा में कहा कि **“मेरे ही प्रश्न के जबाब में सरकार ने स्वीकार किया है कि कुपोषण के कारण 0 से छः वर्ष की उम्र तक के 75 बच्चे प्रतिदिन काल के गाल में कलवित हो रहे हैं 75 जो इस देश का भविष्य बन सकते थे उनकी कुपोषण के कारण रोज मौत हो रही है”।**

आँगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था से सम्बंधित तारांकित प्रश्न पर चर्चा में विधायक मोती कश्यप ने अपने विधान सभा क्षेत्र में आगनबाड़ी केन्द्रों में बिजली न होने का मुद्दा उठाया, उन्होंने बताया कि वर्ष में 300 दिन तक पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। **“जब भीषण गर्मी पड़ती है और छः माह से लेकर छः वर्ष के बच्चे कक्ष में रहते होंगे तो कितनी गंभीर स्थिति उत्पन्न होती होगी। बच्चे बोल नहीं पाते, केबल रो-कर ही अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। बरसात के दिनों में उनके कक्ष में अन्धकार का साम्राज्य रहता है।”** विधायक ने आगनबाड़ी में बिजली और पंखे की वकालत की। इस संदर्भ में महिला बाल विकास मंत्री ने जबाब दिया कि मुझे बताने में संतोष है कि विभाग आँगनबाड़ी केन्द्रों में 300 वाट के विद्युत उत्पादन करने वाले सोलर पैनल बैटरी सहित लगाने के लिए प्रयासरत हैं।

इसी प्रश्न के क्रम में विधायक कैलाश चावला ने कहा कि सरकार आगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत प्रदाय करने जा रही है आपके पास इतना बजट नहीं है इसलिए फेजवाइस का रही है। उन्होंने सोलर उर्जा आने तक रेगुलर बिजली के कनेक्शन का सुझाव दिया। तब मंत्री जी ने बताया कि सोलर लाइट के लिए केंद्र सरकार 45 प्रतिशत की सब्सिडी राज्य सरकार को देती है और 55 प्रतिशत राशि यू.एन बुमन देगी।

विधायक बाबूलाल गौर ने कहा कि एक तो मंत्री जी ने मुझे श्योपुर साथ ले जाने का वायदा किया था। वह वायदा खिलाफी है। क्या उसकी पूर्ति करेंगे। जब आप विधान सभा में कहकर के उसका पालन नहीं करती, इसका मुझे दुःख है। गौर ने कहा कि स्कूल कैंपस में जो आगनबाड़ी हैं उनमें पूरक पोषण आहार

का वितरण होता है तो क्या दूध भी पूरक पोषण आहार में शामिल है?अगर दूध भी शामिल है तो विदिशा में किसी भी आगनवाड़ी में दूध की आपूर्ति नहीं होती। महिला बाल विकास मंत्री ने इस मामले की जांच की बात कही।

विधायक मानवेन्द्र सिंह ने छतरपुर जिले में पूरक पोषण आहार वितरण की आपूर्ति में एम.पी एगो द्वारा आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पैसे लेने की जानकारी दी। शून्य काल में चर्चा में विधायक अजय सिंह ने विभागों को विज्ञापन के लिए दिए जा रहे बजट की निगरानी का सुझाव दिया। साथ ही यह कहा कि “मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कुपोषण से हम जंग लड़ें मध्य प्रदेश का हर बचा हमारा भांजा और भांजी है लेकिन कुपोषण की दर बढ़ती चली जा रही है। आज हिन्दुस्तान में यदि कुपोषण किसी प्रान्त में है तो मुझे यह दुःख है कि वह मध्य प्रदेश है और वह भी सबसे ज्यादा आदिवासी जिलों में है”।

9-विधान सभा में पोषण से सम्बंधित दी गई जिले और प्रदेश स्तर की महत्वपूर्ण जानकारी

श्योपुर- जिले में वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक स्वीकृत 104 आगनवाड़ी भवनों में 48 पूर्ण हो चुके हैं और शेष निर्माणाधीन हैं।

अन्नपुर जिले में 1149 आगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमे 67907 बच्चे हैं इनमे से 834 विभागीय,118 किराये के भवन और 197 अन्य शासकीय भवनों लगती हैं।

श्योपुर- जिले में तीन वर्ष में योजनाओं पर खर्च राशि

वर्ष	आई.सी.डीएस		अटलबाल मिशन	
	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
2015-16	37544511	37544511	2474500	147500
2016-17	5364966	53649966	13053200	10205703
2017-18	17638120	13552241	0	0

जिले में वर्ष 2017 में 27919 स्वच्छता किट क्रय की गई जिसकी कीमत 239 प्रति नग है,जिले की पांच तहसील में 20246 कम वजन के और 3424 अति कम वजन के बच्चे हैं।

खंडवा जिले में 1682 आगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमे से 772 विभागीय, 640 अन्य शासकीय भवनों में संचालित हैं जबकि 270 भवन विहीन हैं।

प्रदेश में पिछले एक वर्ष में 6 वर्ष से कम उम्र के 28,948 बच्चों की मृत्यु हुई।

प्रदेश में 84465 आगनवाड़ी केंद्र और 12670 मिनी आगनवाड़ी केंद्र हैं।

10-बाल सुरक्षा की प्रदेश में चुनौतियाँ

बाल मजदूरी -श्रम मंत्री श्री अतर सिंह आर्य ने मध्य प्रदेश विधान सभा के फरबरी और मार्च माह 2016 में आयोजित बजट सत्र में एक प्रश्न के जवाब में जानकारी दी थी कि 2013 से 2015 तक राज्य में 109 बाल श्रमिकों की पहचान की गई और उन्हें मुक्त कराया गया एवं उनसे अबैध रूप से श्रम करने वालों पर प्रकरण बनाये गए हैं। मंत्री जी ने यह भी बताया कि 226 बाल श्रम के प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गए हैं। इसके विपरीत कामगार बच्चों सम्बंधित जनगणना 2011के आकड़े कुछ और ही तथ्य उजागर करते हैं। प्रदेश में 8,06,546 6 बच्चे (5-14 वर्ष) कामगार हैं। कामगार बच्चों की संख्या में मध्य प्रदेश का देश में पांचवां स्थान है। इन कामगार बच्चों में 53.49% लड़के हैं, वहीं 46.51% लड़कियां हैं। कुल कामगार बच्चों में से 87.9% बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वहीं 12.1% कामगार बच्चे शहरी क्षेत्र में हैं।

बच्चों के विरुद्ध हिंसा -राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2015 के अनुसार राज्य में बच्चों के विरुद्ध अपराध के 12859 मामले दर्ज हुए। मध्य प्रदेश बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में दूसरे स्थान पर है।

बाल विवाह के मामलों में मध्य प्रदेश देश के उन आठ शीर्ष राज्यों में है जहाँ सबसे ज्यादा बालिकाओं के बाल विवाह होते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वे रिपोर्ट-4 के अनुसार मध्य प्रदेश में 20-24 वर्ष की 30 प्रतिशत महिलाओं का बाल विवाह हुआ। मध्य प्रदेश महिलाओं के बाल विवाह के मामलों में देश में आठवे स्थान पर है परन्तु देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बाल विवाह के मामलों में पांचवे स्थान पर है।

11-विधान सभा में बाल सुरक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण, चर्चा दी गई जानकारी और प्रश्न

इस सत्र में बाल सुरक्षा से सम्बंधित कुल छः प्रश्न पूछे गए जो बच्चों से सम्बंधित पूछे गए प्रश्नों का 3.24 प्रतिशत है। पूछे गए लिखित प्रश्नों में 05 जिला और उनकी विधान सभा से सम्बंधित तो अन्य एक प्रश्न राज्य स्तरीय जानकारी के लिए थे।

दो प्रश्न जिनमें बाल संरक्षण गृह के संचालन और दर्ज बच्चों की संख्या के बारे में थे। एक प्रश्न सागर जिले में महिला थाने में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक नाबालिग बच्चों से सम्बंधित दर्ज गंभीर अपराध की जानकारी से सम्बंधित था जिसके उत्तर में जानकारी दी गई कि सागर जिले में इस दौरान 1522 प्रकरण दर्ज हुए इनमें से 220 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत नहीं किये जा

सकें हैं। वहीं अन्य तीन प्रश्नों में से एक जबलपुर जिले में बच्चों का अपहरण ,हत्या और गुमशुदगी के प्रकरण, विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास और छतरपुर जिले में गुमशुदगी के प्रकरण से संबंधित थे।बाल सुरक्षा के मुद्दे पर सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न ,शुन्य काल, प्रश्न काल और ध्यान आकर्षण चर्चा में की मुद्दे नहीं उठे।

परिशिष्ठ -1

क्रमांक	स्कूली शिक्षा	पोषण और स्वास्थ्य	सुरक्षा	कुल	स्कूली शिक्षा
1	Alirajpur	0	0	0	0
2	Anuppur	2	1	0	3
3	Ashoknagar	1	0	0	1
4	Balaghat	3	1	0	4
5	Barwani	0	2	0	2
6	Betul	1	0	0	1
7	Bhind	3	2	0	5
8	Bhopal	1	1	0	2
9	Burhanpur	0	0	0	0
10	Chhatarpur	2	4	1	7
11	Chhindwara	0	3	0	3
12	Damoh	1	0	0	1
13	Datia	1	0	0	1
14	Dewas	1	0	0	1
15	Dhar	2	1	0	3
16	Dindori	0	0	0	0
17	Guna	2	0	0	2
18	Gwalior	1	2	0	3
19	Harda	0	0	0	0
20	Hoshangabad	0	0	0	0
21	Indore	2	0	0	2
22	Jabalpur	8	1	1	10
23	Jhabua	2	0	0	2
24	Katni	1	2	0	3
25	Khandwa	0	1	0	1
26	Khargone	3	2	0	5
27	Mandla	0	0	0	0
28	Mandsaur	3	2	0	5
29	Morena	3	1	0	4

30	Narsimhapur	5	2	0	7
31	Neemuch	2	0	0	2
32	Panna	0	1	0	1
33	Raisen	0	0	0	0
34	Rajgarh	1	5	0	6
35	Ratlam	2	1	0	3
36	Rewa	4	2	0	6
37	Sagar	7	4	1	12
38	Satna	5	1	0	6
39	Sehore	2	0	0	2
40	Seoni	1	1	0	2
41	Shahdol	5	0	0	5
42	Shajapur	2	1	0	3
43	Sheopur	2	4	0	6
44	Shivpuri	1	1	0	2
45	Sidhi	0	2	0	2
46	Singrauli	1	0	0	1
47	Tikamgarh	3	2	0	5
48	Ujjain	2	6	0	8
49	Umaria	0	0	0	0
50	Vidisha	3	1	0	4
	Total	91	60	3	154